

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20 / M-13/nursing/ajmer/-25485 / 2024 / 93

दिनांक :- 27-02-2024

आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिकों को एम0एस0सी0 नर्सिंग सत्र 2023-24 कोर्स हेतु चयन उपरान्त आर यू एच एस जयपुर के द्वारा नर्सिंग कॉलेज आवंटन होने पर इस आदेश में वर्णित शर्तों की पालना के आधार पर संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को उनके अधीनस्त पदस्थापित नर्सिंग अधिकारियों को कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	आवंटित कॉलेज	कोर्स का नाम
1	रेखा यादव	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय रामगढ पंचवारा दौसा	झालावाड नर्सिंग कॉलेज पाटन झालावाड	एम.एस.सी

शर्त:-

- संबंधित कार्मिक का आवेदन सक्षम स्तर से आरयूएचएस को अग्रेषित किया गया हो।
- कार्मिका को नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करवाना होगा। उच्च अध्ययन / तकनीकी / प्रशिक्षण / पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार / विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- श्रीमान शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप -2) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक दिनांक 22.12.2022 में उल्लेखित शर्तों की पालना की जाये।
- प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरन्त निदेशालय में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- कार्मिक द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदौन्नति / वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
- उक्त प्रशिक्षण हेतु राजस्थान सेवा नियम 110-112 के अनुसार पूर्व में जिन कार्मिकों का राज्य सेवा में कार्यरत रहते हुये पोस्ट बीएसी / एमएससी नर्सिंग प्रतिनियुक्ति की है, की प्रतिनियुक्ति अवधि को वित्त विभाग के निर्देशानुसार अध्ययन अवकाश नहीं माने जाने के कारण इन्हे पोस्ट बेसिक बीएससी / एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण स्वयं के बकाया अवकाश (उपार्जित / अर्द्धवैतनिक / असाधारण) पर प्रशिक्षण करना होगा एवं चयनित कर्मियों द्वारा आवश्यक शपथ पत्र दिये जाने पर ही प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा।
- राजस्थान सेवा नियम में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—ई-20 / M-13/nursing/ajmer/-25485 / 2024 / 93

दिनांक :- 27-02-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन राजस्थान।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
4. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
5. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
6. सम्बन्धित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
7. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान।
8. संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर